भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4132

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में जल संसाधन और अवसंरचना का विकास

†4132. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और आज तक कितने ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा में जेजेएम और अन्य जल संबंधी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग में लाई गई;

(ग) सरकार द्वारा ओडिशा के सूखाप्रवण क्षेत्रों में जल की कमी के मुद्दों का समाधान करने और बाढ़प्रवण क्षेत्रों में अतिरिक्त जल की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ओडिशा में पारम्परिक जल निकायों के पुनरुद्धार और भू-जल संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ओडिशा में विशेषकर कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नहरों के आधुनिकीकरण, बांधों के निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने सहित सिंचाई अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) माह अगस्त 2019 से भारत सरकार राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है, ताकि कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के माध्यम से ओडिशा राज्य के *बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त क्षेत्रों सहित* देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके।

माह अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, 3.11 लाख (3.5%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 16.12.2024 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया कि जल जीवन मिशन

(जेजेएम)- हर घर जल के तहत लगभग 64.27 लाख अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 16.12.2024 की स्थिति के अनुसार, 88.70 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 67.38 लाख (75.96%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर *अन्य बातों के साथ-साथ* जल भंडारण, वितरण प्रणालियों अथवा शुद्धिकरण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर लक्षित परियोजनाओं सहित अनेक परियोजनाएं तालमेल के साथ कार्यान्वित की जाती हैं। जल राज्य सूची का विषय होने के कारण ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का परियोजना-वार ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) ओडिशा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत कुल आबंटन और उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय अंश					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	0.78	364.74	364.74	365.52	260.46	241.12
2020-21	105.07	812.15	609.11	714.18	686.41	671.98
2021-22	27.77	3,323.42	2,492.56	2,520.33	1,305.79	1,288.36
2022-23	1,214.54	3,608.62	1,768.73	2,983.27	2,166.00	2,143.19
2023-24	817.27	2,108.54	2,108.54	2,925.81	2,441.58	2,428.16
2024-25*	484.23	2,455.94	368.39	852.62	513.73	511.19

*(16.12.2024 की स्थिति के अनुसार) स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

(ग) और (घ) मिशन को कार्यान्वित करते समय, बाढ़, लू आदि जैसी विकट स्थितियों के दौरान पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन पर बल दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूमि खिसकने, भूकंप के प्रभाव से सुरक्षा के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचना के स्थानों का सावधानीपूर्वक चयन करें; व्यवहार्य अवसंरचना का निर्माण करें; भूकंप/बाढ़ अथवा चक्रवात/भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए जारी नियम संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करें।

इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों, हिमालयी राज्यों आदि जैसे आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए राज्यों को हैंडपंपों/नल कनेक्शनों के लिए प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अंतरिम समाधान के रूप में कार्य करने के लिए समय-समय पर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, आपातकालीन तैयारी के लिए निकटतम संभावित सुरक्षित स्थानों पर स्थायी मोबाइल जल शोधन संयंत्रों को लगाने की योजना बनाने और इन संयंत्रों की एक सूची तैयार करने; पूर्वनिर्धारित आपातकालीन जल आपूर्ति किट शिविरों और अन्य बड़े पैमाने पर विस्थापन स्थितियों में पहुंच को सक्षम बनाने,

शुद्धिकरण किट की पर्याप्त आपूर्ति करने; प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने; फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके रोग निगरानी के संदर्भ में जल गुणवत्ता निगरानी करने की भी परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए कार्य शुरू करने हेतु जेजेएम के परिचालन दिशानिर्देशों में फ्लेक्सी निधि का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा सहित देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या के समाधान और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त जल की समस्या के प्रबंधन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने ओडीशा सहित (1.19 लाख वर्ग किमी) लगभग 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत्त मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।
- सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर आयोजना-2020 तैयार की है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करते हुए एक वृहत स्तरीय आयोजना है। मास्टर आयोजना में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है, इसमें ओडिशा में लगभग 22 हजार वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण शामिल है। डीपीआर संबंधित राज्य सरकार के संबंधित लाईन विभाग द्वारा किसी अन्य जल आपूर्ति परियोजना अथवा शहर विकास परियोजना की तरह कार्यान्वयन स्तर पर तैयार की जानी है। कार्यान्वयन केवल संबंधित राज्य सरकार की विद्यमान स्कीमों के माध्यम से किया जाना होता है और कार्यान्वयन के लिए किसी पृथक स्कीम/निधि की परिकल्पना नहीं की गई है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर आयोजना-2020 कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई थी।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत करती है और वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता को हाईलाईट करती है। यह अन्य बातों के साथ-साथ, समुदाय की भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से नदी, नदी निकायों और बुनियादी ढांचे के संरक्षण की पक्षधर है। इसके अलावा, जल निकायों और जल निकासी

चैनलों पर अतिक्रमण और मोड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहां भी ऐसा हुआ है, उसे यथासंभव बहाल किया जाना चाहिए और ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए।

- देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल के दोहन और उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा दिनांक 24.09.2020 के दिशा-निर्देशों और दिनांक 29.03.2023 के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके विनियमित किया जाता है। दिशा-निर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए फसल चक्र/विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में आगे काम करने के लिए समीक्षा करने की भी सलाह देते हैं।
- तथापि, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन हेतु उपयुक्त भू-जल विधान तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए एक मॉडल बिल परिचालित किया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल विधान को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

इसके अलावा, ओडिशा सहित देश में सतत भूजल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का यहां पर अवलोकन करें। https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf.

इसके अलावा, ओडिशा सरकार के भूजल विकास निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जल संरक्षण और कुशल उपयोग तथा भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दो योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनके नाम हैं छता (छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से सामुदायिक दोहन और संचयन वर्षा जल) और अरूआ (भूमिगत जलभृत में कृत्रिम पुनर्भरण)।

(ङ) "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" का क्रियान्वयन खेतों में पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के उद्देश्य से किया जा रहा है। हर खेत को पानी (एचकेकेपी) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) की योजना पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का एक हिस्सा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल निकायों की एसएमआई और आरआरआर योजनाओं के तहत सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के निर्माण और बहाली के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है। एसएमआई योजना के तहत केंद्रीय सहायता/अनुदान *अन्य बातों के साथ-साथ* विशेष क्षेत्रों अर्थात् ओडिशा के अविभाजित कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है।

*****